तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 87/1.20 Hect, 88/0.64 Hect एवं 89/1.48 Hect वाके ग्राम बालापुरा में स्थित है। जिस पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता सदैव से करीब 10 फीट चौड़ा खसरा नं. 76, 77 व 77/279 की मेड से रहा है. अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को पत्थरकोट कर बन्द कर दिया गया है. अतः प्रार्थीगण के रास्ते को स्थायी रूप से रास्ते में कायम किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 23/12/15 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ता न होने के सम्बन्ध में कोई भी खंडनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए प्रतिप्रार्थीगण की आराजी से होकर	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10 फिट चौड़ा रास्ता विद्यमान है।	
	प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय SDO कोटा के निर्णय दिनांक 23/12/15 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 RTA 1955 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय RAA कोटा द्वारा अपने दिनांक 04.08.2017 द्वारा न्यायालय SDO कोटा का निर्णय दिनांक 23/12/15 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि-सम्मत निर्णय पारित करें।	
	रिमाण्ड प्रकरण दर्ज कर पुनः सुनवाई की गई। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली है. तहसीलदार लाडपुरा से पुनः वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस की गई जो सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2	हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, न्यायालय निर्णय 23/12/15 व 04.08.2017, तथा अप्रार्थी की लिखित बहस का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में अनुरोध किया गया है कि ख.नं. 76,77,77/279 की मेड पर होकर मौके पर कोई रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण को इस स्थान पर कोई नया रास्ता कायम करवाने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण पूर्व से प्रभु व द्वारकालाल, मोहनलाल की खेत के सहारे बने रास्ते से होकर आते जाते हैं। अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण एक तरफ रास्ता खुलवाने की बात करते हैं नया रास्ता खुलासा कराने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस कारण प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौरान बहस कथन किया गया कि प्रार्थीगण 76,77 व 77/279 की मेड से ही आते जाते थे, जिसे बन्द कर दिया गया है। वे हर फसल पर होने वाले विवाद का समाधान चाहते हैं, इसीलिए	

उपखण्ड अधिकारी

को. [illegible]

★ न्यायालय ★ [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 251(क) के तहत नियमानुसार स्थायी रास्ता कायम करवाकर, राजस्व रिकार्ड में अमल करवाना चाहते हैं। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार - 1. प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी तक पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। 2. प्रार्थी के खाते के खेत ग्राम बालापुरा ख.न. 87, 88 व 89 की भूमि पर मौजूदगी पत्रानुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। हमने समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक मनन किया। अप्रार्थीगण का कथन है कि अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के पक्ष में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्पष्टतया अंकित किया गया है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी (मोहर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/	* अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण रास्ते का खुलासा करवाना चाहते है, जिसका अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस कारण प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण का आवेदन रास्ता खुलासा करवाने का नहीं है अपितु राजस्व रिकार्ड में रास्ते का दर्ज करवाने का है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) से ही कवर होता है, जिसे सुनने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को ही प्राप्त है। * माननीय राजस्व मण्डल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के उपयोग के सम्बन्ध में बार-बार यह निर्धारित किया है कि धारा 251(क) का प्रयोग उसी स्थिति	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते की आत्यन्तिक न्यूनता प्रमाणित हो। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की आत्यन्तिक न्यूनता प्रमाणित है.	
	उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।	
	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) RTA-1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थीगण के खाते की काश्तकारी ख.नं. 87, 88 व 89 वाके ग्राम बालापुरा पर जाने हेतु (कृषि कार्य हेतु) ख.नं. 76, 77 व 77/279 की मेड पर होकर 10 फुट चौड़ी मार्ग उपलब्ध करवाया जावे। मार्ग समभाग में मेड़ की दोनों ओर होगा।	
	तहसीलदार लाडपुरा को	

उपखण्ड अधिकारी
को.।

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
५।	निर्देशित किया जाता है कि सर्व प्रथम रास्ते में आने वाली भूमि की राशि की DLC दर से गणना कर, DLC राशि की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को उपलब्ध करावे। तत्पश्चात नामान्तरकरण दर्ज कर निर्धारित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा तदानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 21/[illegible]/24 उपखण्ड अधिकारी को	